राजस्थान सरकार

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–54/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/149
दायर दिनांक– 02.08.2023
निर्णय दिनांक–25.10.2024

1. मालीराम पुत्र बिरदाराम जाति बलाई नि0 ग्राम पीथंवारा हाथोज तहसील व जिला जयपुर जरिये पॉवर ऑफ अर्टोनी बालूराम पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीथंवारा हाथोज तहसील व जिला जयपुर

—प्रार्थी

बनाम

1. भंवरी देवी पत्नि रामलाल जाति गुर्जर नि0 ग्राम जाखोलाई तह0 रूपनगढ़
2. तेजूराम दत्तक पुत्र प्रेमा जाति गुर्जर नि0 ग्राम जाखोलाई तह0 रूपनगढ़
3. दयाल पुत्र माना जाति जाट नि0 ग्राम जाखोलाई तह0 रूपनगढ़
4. सुखाराम पुत्र माना जाति नि0 ग्राम जाखोलाई तह0 रूपनगढ़
5. हेमाराम पुत्र माना जाति जाट नि0 ग्राम जाखोलाई तह0 रूपनगढ़
6. हंसराज पुत्र शिवनारायण जाति जाट नि0 ई 102 दुर्गापुरा पार्क अम्बाबाड़ी जिला जयपुर
7. श्रीमती किशोर सिंह पत्नि दिलीप सिंह जाति राजपूत नि0 सहनुसर तह0 रामगढ़ जिला सीकर (DELETE)
8. श्रीमती नानू कंवर पत्नि विक्रम सिंह जाति राजपूत नि0 सहनुसर तह0 रामगढ़ जिला सीकर (DELETE)
9. तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री शांतिलाल ढ़ेल अधि0 प्रार्थी
2 जितेन्द्र प्रजापत अधि0 अप्रार्थी संख्या 2
3 श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 अप्रार्थी संख्या 1

## –:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम जाखोलाई तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 228 रकबा 1.4319 है0 स्थित है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 228 की भूमि के उत्तरी पश्चिम कोने से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की ख0न0 294/141 की भूमि स्थित है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 228 की भूमि के उत्तरी दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 की ख0न0 227 की भूमि स्थित है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 228 की भूमि के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की ख0न0 229 की भूमि स्थित है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 228 की भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 6 की ख0न0 226 की भूमि स्थित है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 228 की भूमि के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की ख0न0 293/141 की भूमि स्थित है। प्रार्थी ने स्वयं के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 228 की भूमि के चारो ओर मिट्टी की डोल बना रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 228 की भूमि के कब्जे काश्त में प्रतिवर्ष बाधाकारित की जाती है और अप्रार्थी संख्या 2 से 5 प्रार्थी की भूमि में लगी मिट्टी की डोल को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करते रहते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की अनुचित कार्यवाही से व्यथित होकर स्वयं के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 228 की भूमि का सीमाज्ञान कराने हेतु अप्रार्थी संख्या 9 के समक्ष दिनांक 30.5.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके [illegible] दिनांक 09.06.2023 को वादग्रस्त ख0न0 228 की भूमि का सीमाज्ञान किया। प्रार्थी पटवार हल्का [illegible] की सीमाज्ञान की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2023 से पूर्णतया संतुष्ट है। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 ने सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2023 के बाद वर्षा होने पर दिनांक 20.06.2023 को वादग्रस्त ख0न0 228 की उत्तर व दक्षिण दिशा की मिट्टी की डोल को ट्रेक्टर द्वारा क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया तो प्रार्थी ने मौके पर आपत्ति की और अप्रार्थी संख्या 2 से 5 को सीमाज्ञान रिपोर्ट से अवगत कराया जिसे अप्रार्थी संख्या 2 से 5 ने स्वीकार करने से इन्कार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.11.05 14:44:58 IST
Reason: SelfAttested

Mahima
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

दिया और मौके पर विवाद उत्पन्न कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को प्रार्थी की भूमि के पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशा में स्थित होने के कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 9 भूमिधारक (लेण्ड होल्डर) होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना है कि प्रार्थी केकब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 व 9 के के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र प्रजापत व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) पेश कर अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के नाम डिलीट करने हेतु निवेदन किया, जिसको सुना जाकर प्रकरण से अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के नाम हटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब देने से इन्कार किया। दिनांक 07.08.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 से 5 व 8 उपस्थित नही, इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अगल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 9 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जाखोलाई के ख0न0 228 रकबा 1.4319 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में मौके पर किसी प्रकार का वाद–विवाद ना हो तो नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

महिमा कसाना
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.11.05 14:44:58 IST
Reason: SelfAttested